संख्या-90/2463/47-का-3-2014-24/16/2013

प्रेषक,

संजय कुमार सिहं यादव
संयुक्त सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिदेशक
उत्तर प्रदेश प्रशासन एवं प्रबन्धन अकादमी
सेक्टर-डी, अलीगंज, लखनऊ।

कार्मिक अनुभाग-3 **लखनऊ : दिनांक : 12 नवम्बर, 2014**

विषय- वित्तीय वर्ष 2014-15 के अन्तर्गत व्यय हेतु अवशेष छः माह के लिए उ0प्र0 प्रशासन एंव प्रबन्धन अकादमी, लखनऊ को वित्तीय स्वीकृति प्रदान किए जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्य-III-47Voll.VIII/821, दिनांक 05/09/2014 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यमाल महोदय उत्तर प्रदेश प्रशासन एवं प्रबन्धन अकादमी, लखनऊ को सहायक अनुदान/ राज सहायता तथा वेतन भत्ते आदि के भुगतान के लिए वित्तीय वर्ष 2014-2015 के आय-व्ययक के अन्तर्गत उप शीर्ष -20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) में प्राविधानित धनराशि रू0-3,74,60,000/- (रूपये तीन करोड चौहत्तर लाख साठ हजार मात्र) के सापेक्ष अवशेष धनराशि रू0-2,02,32,251/- (रूपये दो करोड दो लाख बत्तीस हजार दो सौ इक्यावन मात्र) अवशेष छः माह (माह अक्टूबर, 2014 से मार्च 2015 तक) के व्यय के अनुदान संख्या-19 के लेखाशीर्षक-2070-अन्य प्रशासनिक सेवाएं-आयोजनेत्तर-003-प्रशिक्षण-11-उ0प्र0 प्रशासन एवं प्रबन्धन अकादमी, लखनऊ के निम्नलिखित मानक मदों/ उपशीर्षो में सम्मुख अंकित धनराशि अवमुक्त किए जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं-

धनराशि (रूपये में)

उपशीर्ष/ मद का नाम	**वितत्तीय वर्ष 2014-15 के लिए प्राविधानित आय-व्ययक/ अनुदान की धनराशि**	**प्रथम 04 माह (अप्रैल, 2014 से जुलाई, 2014 तक) के व्यय के लिए अवमुक्त की गयी धनराशि**	**प्रथम छः माह के अंतिम 02 माह (अगस्त व सितम्बर, 2014) के व्यय के लिए अवमुक्त की गयी धनराशि**	**अंतिम छः माह हेतु अवमुक्त की जाने वाली अवशेष धनराशि**
1	**2**	**3**	**4**	**5**
20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन)	3,74,60,000	1,04,83,666	67,44,083	2,02,32,251
योग	3,74,60,000	1,04,83,666	67,44,083	2,02,32,251
(रूपये दो करोड दो लाख बत्तीस हजार दो सौ इक्यावन मात्र)				

2/-

http://shasanadesh.up.nic.in

2- इस प्रकार जारी वित्तीय स्वीकृतियों के अन्तर्गत कोषागार से धनराशि का आहरण विद्यमान व्यवस्था के अनुसार व्यय की आवश्यकता होने पर किया जायेगा।

3- विनियोग अधिनियम द्वारा स्वीकृत/ उपलब्ध करायी गयी धनराशि का उपयोग चालू योजनाओं पर किया जायेगा तथा किसी भी स्थिति में उक्त धनराशि का उपयोग वर्ष 2014-2015 की नई मदों के कार्यान्वयन के लिए नही किया जायेगा।

4- उक्त धनराशि का आहरण राजकोष से एक मुश्त नही की जाएगी, बल्कि आवश्यकतानुसार राजकोष से आहरित कर सक्षम अधिकारी की अनुमति से नियमानुसार व्यय की जायेगी तथा उक्त धनराशि का बिल महानिदेशक, उत्तर प्रदेश प्रशासन एवं प्रबन्धन अकादमी द्वारा तैयार किया जायेगा एवं उक्त बिल को अनुसचिव, नियुक्ति विभाग द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित कर धनराशि का आहरण महानिदेशक, उ0प्र0 प्रशासन एवं प्रबन्धन अकादमी द्वारा किया जायेगा।

5- व्यय करने से पूर्व जिन मामलों में बजट मैनुअल/ फाइनेंशियल हैंडबुक के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत अथवा सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति की आवश्यकता हो उनमें व्यय करने से पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाए।

6- विभिन्न अनुदानों के अन्तर्गत बजट में प्राविधानित धनराशि का आवंटन एवं आवंटित/ वितरित धनराशि के समक्ष किए गये व्यय पर नियंत्रण के संबंध में शासनादेश संख्या-बी-1-1195/दस-18/94, दिनांक 06 जून, 1994 द्वारा निर्गत निर्देशों का कडाई के साथ अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

7- व्यय प्रबंधन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययियता के संबंध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

इसके साथ-साथ राजकीय धन व्यय करने में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के प्रस्तर-12 में दी गयी शर्तो की पूर्ति तथा वित्तीय औचित्य के मानकों (स्टैण्डर्डस आफ फाइनेन्शियल प्रोप्राइटी) का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाय।

8- आहरण-वितरण अधिकारी द्वारा कोषागार से धनराशि का आहरण आवश्कता होने पर ही किया जाएगा, किसी भी दशा में धनराशि आहरित करके बैंक/ डाकखाने में जमा नही की जाएगी।

9- उ0प्र0 के बजट मैनुअल के पैरा-88 के प्राविधाननुसार किया जाने वाला व्यय कडाई के साथ प्राधिकृत विनियोग के भीतर रख जाना माहनिदेशक, उत्तर प्रदेश प्रशासन एवं प्रबन्धन अकादमी का उत्तरदायित्व होगा। इस संदर्भ में बी0एम-13 के प्रपत्र पर नियमित रूप से प्रतिमाह कार्मिक विभाग के साथ-साथ (वित्त-व्यय नियंत्रण) अनुभाग-5 को सूचना उपलब्ध कराया जाना अनिवार्य है।

3/-

http://shasanadesh.up.nic.in

10- उपर्युक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2014-2015 के अन्तर्गत अनुदान संख्या-19 के लेखाशीर्षक--2070-अन्य प्रशासनिक सेवाएं-आयोजनेत्तर-003-प्रशिक्षण-11-उ0प्र0 प्रशासन एवं प्रबन्धन अकादमी, लखनऊ-उपशीर्ष-20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) के नामे डाला जायेगा।

यह आदेश वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-5 के अशासकीय पत्र संख्या-1224/दस-14, दिनांक 29/10/2014 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किए जा रहे हैं।

भवदीय

(संजय कुमार सिंह यादव)
संयुक्त सचिव।

संख्या-90/2463(1)/47-का-3-2014-24/16/2013, तददिनांक,

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकादारी)-प्रथम/ द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2. महालेखकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/ द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
3. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
4. कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
5. अनु सचिव, नियुक्ति अनुभाग-6, उ0प्र0 शासन को विभागीय वेबसाइट पर अपालोड करने हेतु ।
6. नियुक्ति अनुभाग-6 (लेखा कोष्ठक), उत्तर प्रदेश शासन।
7. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-5, उत्तर प्रदेश शासन।
8. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2, उत्तर प्रदेश शासन।
9- गार्ड फाइल।

आज्ञा से

(संजय कुमार सिंह यादव)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in